22/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
अथवा वादी की ओर से कोई
उपस्थित नहीं है। न्यायालय
परिसर के बाहर बार-बार आवाज
लगवाई गई। बावजूद आवाज के
भी कोई उपस्थित नहीं आया है।
प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद
के प्रति उदासीन है तथा वाद को
चलाना नहीं चाहता। अतः वादी
का वाद अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
हो।

सहायक [illegible]
लालसोट जिला-[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 15:29:35 IST
Reason: SelfAttested